(c) how many of them were afforded opportunity for employment every month, and how many actually got employed?

THE DEPUTY MINISTER FOR LABOUR (SHRI ABID ALI) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [See Appendix VIII, An-nexure No. 67.]

SELLING PRICE OF FERTILISERS

t76. SHRI M. VALIULLA: Will the Minister for FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the price at which fertilisers from the Travancore-Cochin Fertiliser Factory are sold; and

(b) whether there is any likelihood of reduction in the prices of these fertilisers; and if so, to what extent?

THE MINISTER FOR FOOD AND AGRICULTURE (SHRI A. P. JAIN) : (a) This factory produces two kinds of fertilisers, namely, sulphate of ammonia and superphosphate. Only sulphate of ammonia is sold through the Central Fertilisers Pool operated by this Ministry. The Pool issue price is Rs. 315 per ton delivered at any railhead destination. It has been recommended to the State Governments that the retail price of the fertiliser to the cultivators should not exceed Rs. 345 per ton. According to the information available this fertiliser is actually sold to cultivators in States at the above price.

(b) The matter is under the consideration of Government.

THE HINDU MARRIAGE AND DIVORCE BILL, 1952—*continued.*

MR. CHAIRMAN: We get back to the Hindu Marriage and Divorce Bill. Yes, Mrs. Munshi.

tPostponed from the 2nd December, 1954.

श्रीमती लीलावती मुन्शी (बम्बई) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत से प्रभावशाली भाषण इस सदन में दो तीन दिन से हो रहे हैं । कई जगहों पर गर्मी भी लाई गई है जिसकी कि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी । इस बिल में जितने क्लाज हैं उन सब के बारे में मेम्बरों ने अपनी राय प्रकट की है । स्त्री होने के नाते मुझे इस विषय में दिलचस्पी है और इसलिए मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं ।

सबसे पहले तो मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि उसने अपना वायदा इस बिल को सदन में लेकर पूरा कर दिया है ; किन्तु हमारी बधाई थोड़ी अधूरी है । हिन्दू कोड बिल देश के सामने किसी न किसी रूप में पन्द्रह सालों से है, और उसके विषय में काफी चर्चा हुई है । इस बिल के सम्बन्ध में देश में तरह तरह की बहसें हुई हैं--स्त्रियों में भी हुई हैं, इसके खिलाफ भी हुई हैं, और तारीफ में भी हुई हैं । इस सम्बन्ध में सरकार ने समय समय पर जितने भी बिल रक्खे उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुए । इस विषय में राव कमेटी और अम्बेडकर कमेटी ने जो कुछ किया, आज का बिल उसका एक हिस्सा मात्र है । इसमें मोनोगेमी और डाइवोर्स दोनों चीजें हैं और बाकी चीजें इसमें से उठा ली गई हैं । इस विषय में यह कहा गया है कि अपो-जीशन को कम करने के लिए दवा की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके दी जाती है, क्योंकि रोगी को अगर ज्यादा दवा दी जाय तो वह चिल्ला उठता है । इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कदाचित्

हमारे हाउस ने ये सब चीजें पास कर देनी हैं ।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश): पक्का पास करेंगे ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : मैं यह बात मानती हूं कि जब तक हिन्दू कोड बिल नहीं आयेगा और स्त्रियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक स्त्रियों और पुरुषों में समानता स्थापित नहीं होगी । हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के सिवाय दूसरी जातियों में स्त्रियों का जायदाद में हिस्सा होता है । पारसियों, क्रिश्चियनों और मुसलमानों में भी लड़की को जायदाद में हिस्सा मिलता है । सिविल मैरेज में भी स्त्री को जायदाद में हिस्सा मिलता है । तो मैं आशा करती हूं कि हिन्दू कोड बिल का बाकी हिस्सा हमारी सरकार इस सदन में जल्द लाने की कोशिश करेगी ।

सरकार इस समय जो बिल सदन के सामने लाई है उसके लिए तो उसे बधाई है ही किन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर यह बिल सब के लिए होता तो बहुत अच्छा होता । मोनोगेमी और डाइवोर्स क्रिश्चियन और पारसी जातियों में है । मुसलमान जाति में भी किसी न किसी शक्ल में डाइवोर्स मौजूद है । अब इस बिल द्वारा हम हिन्दुओं की सब जातियों को मोनोगेमी और डाइवोर्स देने जा रहे हैं । जब मुसलमानों में डाइवोर्स किसी न किसी सूरत में है तो मुस्लिम औरतों को मोनोगेमी से क्यों वंचित किया जा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । मैं यह बात मानती हूं कि अगर मुसलमान स्त्रियों से इस बारे में राय ली जाय तो वे इस के हक में अपनी राय देंगी । हमारे सदन में तो ज्यादातर मुसलमान भाई ही आये हैं ; केवल एक स्त्री बहिन बेगम एजाज रसूल हैं । इस बिल की बहस के बीच किसी भाई ने कहा था कि कराची में भी मुसलमान औरतों ने यह मांग की थी कि वे मोनोगेमी चाहती हैं । आप सब को यह बात मालूम है कि कराची के मुसलमान बड़े कड़े होते हैं । जब हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है—सब के लिए यहां समानता है—तो क्यों नहीं हमारी मुस्लिम बहिनों को इसका फायदा दिया जाय ? इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता । मैं आशा करती हूं कि हमारे मुसलमान भाई इस बात की कोशिश करेंगे कि अपनी बहिनों को यह सुविधा दिलाई जाय और खाली इज्जत के लिए एक अच्छी चीज से उन्हें वंचित नहीं रखेंगे ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जब यह बिल सारे देश के हिन्दुओं पर लागू होगा तो काश्मीर और जम्मू के हिन्दुओं को इससे क्यों अलग रक्खा गया है । जब आपने दूसरे देशों में रहने वाले हिन्दुओं पर भी यह बिल लागू किया है तो इसे उस भाग पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है जो कि हमारे देश का एक अंग है ? काश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि हम हिन्दुस्तान से मिल चुके हैं और हमारा देश भारत का ही एक अंग है तो क्यों नहीं वहां की हिन्दू जनता पर भी, यह बिल लागू किया जाता है ? यह एक अच्छी चीज है, कोई पोलिटिकल चीज नहीं है, समाज सुधार की चीज है, तो वहां के हिन्दुओं

[श्रीमती लीलावती मुन्शी]

को क्यों इस से वंचित किया जा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । एक दूसरी सेलेक्ट कमेटी अनटचेबिलिटी के लिये थी वहां पर भी यह चीज रखी गई थी । जब हमने यह कहा कि अनटचेबिलिटी के लिये जम्मू और काश्मीर को क्यों अलग रखा जाय, यह पोलिटिकल बात नहीं है, यह समाज सुधार की बात है, तो फिर सेलेक्ट कमेटी में वह चीज जम्मू और काश्मीर के लिये लागू की गई । अगर जम्मू और काश्मीर की गवर्नमेंट से इस सम्बन्ध में पूछा जाय, तो मेरा यह विचार है कि वह जरूर इस को मान लेगी ।

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० करमरकर) : जो विधान अभी मौजूद है, उसके अनुसार हमें ऐसा करने का अधिकार है ?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : वह मैं बता रही हूं । हमारी दूसरी सेलेक्ट कमेटी में हरिजनों के बारे में जांच की गई और बिल में से "एक्सेप्ट जम्मू ऐंड काश्मीर" शब्द हटा दिये गये । यह समाज सुधार की बात है । पोलिटिकल बात नहीं है । उनका कोई हक लेने की बात नहीं है । मैं समझती हूं कि यदि आप इसके बारे में जांच करेंगे तो जम्मू और काश्मीर की सरकार जरूर सहमत होगी ।

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश) : कर नहीं सकते ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : कर सकते हैं । मैंने अभी बताया कि एक बिल में हमने किया; और इसमें भी कर सकते हैं ।

SHRI V. K. DHAGE (Hyderabad): What is the constitutional position?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : हमने एक बिल में ऐसा किया है । मिस्टर दातार यहां नहीं हैं, वरना वे बतलाते । जैसा इस बिल में है, हरिजन बिल में भी "एक्सेप्ट जम्मू ऐंड काश्मीर" ये शब्द थे, लेकिन उनको हटाया गया और उस बिल को वहां भी लागू कर दिया गया । यह समाज सुधार की बात है, इसलिये जरूर वहां भी लागू की जा सकती है । इसके लिये आप कोशिश करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूं ।

क्लाज ५ में कंडीशन्स फार ए हिन्दू मैरेज दी गई हैं । क्लाज १०, ११, १२ और १३ में जुडीशियल सेपेरेशन और डाइवोर्स आदि के लिये जो ल्युनेटिक, ईडियट आदि की कंडीशन्स लगाई गई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह मानती हूं कि यह जरूरी है कि मैरेज के पहले फिजिकल एक्जामिनेशन जरूरी कर दिया जाय । इस से क्या होगा ? इस से यह होगा कि सब चीजें पहले ही स्पष्ट हो जायंगी । शादी के बाद किसी को ईडियट, ल्युनेटिक, प्रेगनैंट आदि साबित करने के बजाय सब से अच्छा यही होगा कि शादी के पहले जरूरी रीति से फिजिकल एक्जामिनेशन करवा दिया जाय । इससे बहुत सी चीजें हट जायेंगी और समाज सुधार बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा । इसके लिये जो मैरेज कंडीशन्स हैं, उनमें एक चीज यह दाखिल करनी चाहिये कि शादी से पहले फिजिकल एक्जामिनेशन होना चाहिये कि कोई ल्युनेटिक या ईडियट तो नहीं है

या किसी को वेनेरियल डिज़ीज़ या लेप्रासी तो नहीं है । इस प्रकार पहले से ही पता चल जायगा ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. K. DHAGE) in the Chair]

श्री डी० पी० करमरकर : आप क्लाज़ १३ के बारे में कहती हैं ?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : जी हां ।

डा० पी० सी० मित्रा (बिहार) : इसी के वास्ते बाप मां अगारी से देखते थे ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : आज ईडियट और ल्युनेटिक होने पर भी शादी हो जाती है । आगे यह भी साबित करने के लिये कि कोई ईडियट या ल्युनेटिक है या नहीं, इसके लिये तीन साल बैठा रहना पड़ेगा । इस लिये यह सब चीजें करने से सब से अच्छा यही है कि आप पहले से फिज़िकल एक्ज़ामिनेशन करवा दें । मैं समझती हूं कि इससे बहुत फायदा होगा । इसके बाद के क्लाज़ के बारे में मैं बाद में कहूंगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : गांवों में डाक्टर कहां मिलेंगे ?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : जब यह चीज आप पास कर रहे हैं, तो इसके माने यह हैं कि आप इसका पूरा अमल करने वाले हैं, अगर अमल करने वाले नहीं हैं तो इसका बनाना ही बेकार है ।

श्री डी० पी० करमरकर : आप क्लाज़ ५ में रखेंगी कि शादी से पहले परीक्षा करनी चाहिये ?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : जी हां ।

इसके साथ साथ इसमें एक नयी चीज दाखिल करनी चाहिये । इनक्योरेबिल डिज़ीज़ वाले को भी शादी करना मना होना चाहिये । जो आदमी इनक्योरेबिल डिज़ीज़ से बीमार रहता है उसे शादी करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिये । अगर पहले से आप इनक्योरेबिल डिज़ीज़ दाखिल कर देंगे, तो ऐसे आदमियों से शादी नहीं होगी और उनकी अस्वस्थ सन्तानों से देश पर भार नहीं पड़ेगा । इससे बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, ऐसा मैं मानती हूं ।

श्री डी० पी० करमरकर : इनक्योरेबिल डिज़ीज़ थोड़े आदमियों को होती है । बहुत लोग ठीक होते हैं । आप की राय यह है कि सब का मेडिकल एक्ज़ामिनेशन हो ?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : इसके बारे में जब डाइवोर्स का क्लाज़ आयेगा तब बोलूंगी ।

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री वी० के० धगे) : मुझे भी मुखातिब किया जाय तो ज्यादा अच्छा है ।

डा० पी० सी० मित्रा : बार के बाद १४ वां ऐक्ट आया हुआ है ।

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री वी० के० धगे) : मिसेज़ मुन्शी तकरीर कर रही हैं ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : दुनियां में जो साइंस बढ़ रही है, उसको देखते हुये आप कहेंगे कि सब डिज़ीज़ क्योरेबिल हैं । जैसा कि राजकुमारी अमृत कौर ने कहा था, लेप्रासी क्योरेबिल है,

[श्रीमती लीलावती मुन्शी]

टी० बी० क्योरेबिल हैं—इसी जमाने में ऐसा होगा—लेकिन उनमें से कितने आदमी क्योर हुये हैं यह मुझे बताइये । जब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ जाय कि हर डिजीज क्योरेबिल हो जाय, तब आप ऐसा कह सकते हैं । आपने दूसरे क्लाजेज में लेप्रासी और वेनेरियल डिजीजेज के कारण जो जुडीशियल सेपेरेशन और डाइवोर्स के अधिकार रखे हैं, किन्तु शादी के बाद इस झंझट में पड़ना और कोर्ट में जाकर सिद्ध करना एक स्त्री के लिये बड़ी मुश्किल बात है । इससे अच्छा यह है कि शादी के पहले ही यह बात निश्चित हो जाय । अमेरिका में यहां से ज्यादा डिजीजेज क्योर हो सकती हैं । नयी शोधों के प्रयोग करके लोग अपना स्वास्थ्य चला सकते हैं । लेकिन यह थोड़े आदमियों के लिये है, सार्वजनिक तौर से नहीं है । यह बिल हम सब हिन्दू स्त्रियों के लिये बना रहे हैं। मेजोरिटी की कठिनाइयां आप को देखनी चाहियें । जो आदमी अच्छा हो जाय और जिसको डाक्टर सार्टिफिकेट दे दे, उसके शादी करने में कोई हर्ज नहीं है ।

श्री किशोरी राम (बिहार) : अगर घूस लेकर सार्टिफिकेट दिया जाय तो क्या होगा ?

श्री डी० पी० करमरकर : वह करप्शन होगा ।

डा० पी० सी० मित्रा : वेजिटेबल घी में क्या है ? पहले यह बोला कि इसके खाने से मर जायगा । अब बोलता है कि इसमें विटैमन है ।

श्री डी० पी० करमरकर : बिना कारण के इंटरप्शन करना जनसाउंड माइंड जैसा दिखता है ।

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री बी० के० धगे) : उम्र का तकाजा है ।

SHRIMATI LILAVATI MUNSHI: I think, Sir, in every drama there is a jester and here also we have, one.

SHRI D. P. KARMARKAR: But they are of a sound mind.

श्रीमती लीलावती मुन्शी : एक बात मैं पहले कहना भूल गई थी । दूसरे क्लाजेज पर बोलने से पहले मैं इस क्लाज के बारे में एक नया आर्ग्यूमेंट देना चाहती हूं ।

SHRI D. P. KARMARKAR: It is a serious point which my esteemed friend is referring to. But does she think that subjecting the boy and the girl and everybody to a medical examination to find out whether there is venereal disease and whether it is incurable or not would be liked by public opinion in this country? Because she is more experienced in these matters.

SHRIMATI LILAVATI MUNSHI: Do you think that this Bill is liked by all sections of public opinion in the country? If you want to go by public opinion it is different matter altogether. Then you take a referendum and find out how many people like this Bill—whether it has the goodwill of the people or not.

12 NOOS

बिल सार्वजनिक होना चाहिये उसके बारे में एक बात कहना मैं भूल गई थी—एक प्वाइंट पर मुझे कहना था । वह प्वाइंट यह है कि हमारे देश की एकता के लिये जो जरूरी चीजें हैं उनमें एक चीज यह भी है कि मैरेज लाज सारे हिन्दुस्तान में सब लोगों के लिये

हों । आज सारे हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के बीच में एकता क्यों है, इसलिये कि उनके मैरेज लाज एक हैं । इसी तरह से प्रापर्टी लाज की बात है, उसकी वजह से भी हमारे देश की एकता बनी रहती है । जैसे कि बोलचाल की एक भाषा से देश की एकता बनती है उसी तरह से एक तरह के लाज से, एक तरह के रहन सहन से एकता बनी रहती है। जैसे कि सप्तपदी सब जगह है और शादी का तरीका भी सब जगह करीब करीब एक ही है, इससे एकता बनती है । तो जब हम देश की एकता को बनाना चाहते हैं तब हमें यह देखना है कि इस बिल के ज़रिये से देश की एकता का विभाजन न हो ।

किसी ने कल कहा था कि इसको खाली फेशनेबिल स्त्रियां चाहती हैं, यह बात नहीं है ।

डा० पी० सी० मित्रा : फ़ारेन कंट्रीज में जो गई हैं वे चाहती हैं ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : कोई भी हो और चाहे जो धर्म हो लेकिन लग्न का अर्थ सब में एक समान है । वह यह है कि स्त्री और पुरुष जीवन भर के लिये शादी करें, प्रजा को उत्पन्न करें और कुटुम्ब बनायें । अगर यह अर्थ न हो और केवल अपनी संतुष्टि के लिये विवाह करना हो तो फिर किसी भी तरह से स्त्री और पुरुष रह सकते हैं लेकिन उसको लग्न नहीं कहते । सब धर्मों में यह लग्न की भावना एक ही है तब सभी स्त्रियों और पुरुषों को एक समान ही इससे फ़ायदा होना चाहिये । इसी तरह से एक पत्नीव्रत और एक पतिव्रत का सिद्धांत सब के लिये समान होना चाहिये । हां, एक जमाने में बहुपत्नी-व्रत और बहुपतिव्रत का रिवाज था । कोई कारण होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ । उस वक्त दुनियां में बहुत सी लड़ाइयां होती थीं और उनमें बहुत से पुरुष मारे गये होंगे जिसकी वजह से स्त्रियां बढ़ गई होंगी और यह रिवाज हो गया होगा । इससे उल्टा रिवाज भी कई जगहों पर है जहां एक स्त्री अनेक पतियों से शादी कर सकती है । आज भी तोड़ा जाति में या जौनसार बावर में ऐसा होता है या द्रौपदी के जमाने में होता था कि एक स्त्री बहुत से पति करती थी ।

श्री किशोरी राम : हिमाचल प्रदेश में आज भी एक स्त्री बहुत से मर्द करती है ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : जी हां, वह होता है । तो मेरा कहना है कि लग्न का जो कायदा हो वह सब के लिये एक समान हो ।

अब मैं क्लाजेज के बारे में जो बात कह रही थी वह कहती हूं । क्लाज ६ में आपने गार्डियनशिप के बारे में प्राविज़न किया है । इस बारे में मेरा कहना है कि इंस्टीट्यूशंस को भी गार्डियन मानना चाहिये क्योंकि आज कल बहुत से होम्स और आश्रम बन रहे हैं जहां कि निराधार स्त्रियां आती हैं और वे उनकी शादियां भी कराते हैं । हां यह मैं जरूर कहती हूं कि ऐसे होम्स गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस्ड हों, उनकी सरकार की तरफ से जांच पड़ताल हो और यह देखा जाय कि कोई अपना खुद का फायदा न उठाये लेकिन उनको भी इस गार्डियनशिप के क्लाज में दाखिल करना चाहिये ।

रजिस्ट्रेशन के लिये एक क्लाज रखा है । रजिस्ट्रेशन का होना तो अच्छा है मगर

[श्रीमती लीलावती मुन्शी]

उसकी मैशीनरी के बारे में मैं कहती हूं कि जब तक हर गांव में रजिस्ट्रेशन करने की मैशीनरी नहीं बनायेंगे तब तक वह कायदा चलने वाला नहीं है। जैसे कि हर गांव में एक डिसपेंसरी है और उसमें अब फिजिकल एक्जामिनेशन करवाया जा सकता है, उसी तरह हर गांव में रजिस्ट्रेशन की कोई मैशीनरी होनी चाहिये। अगर वह नहीं होगी तो बहुत कठिनाई पैदा होगी। इसलिये मेरा कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान रखे।

इसमें जो सब से बुरा क्लाज है वह "रेस्टीट्यूशन आफ कंजूगल राइटस" का है। भला इस जमाने में कोई यह सोच भी सकता है कि किसी स्त्री या किसी पुरुष को एक दूसरे के सहवास में जबरदस्ती रखा जाय। स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कोई ऐसी बात तो है नहीं कि चाहे उनकी मर्जी हो या न हो लेकिन फिर भी कोई आर्डर करे कि नहीं जबरदस्ती सम्बन्ध करो। शादी के बाद स्त्री पुरुष एक दूसरे से अलग क्यों रहते हैं? जब वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते या किसी अन्य से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि सम्बन्ध न रहे तब अलग होते हैं– चाहे घृणा करते हों या रोगी हों, या क्रूरता की बात हो या और कोई खास बात हो जिससे वे साथ में रहना नहीं चाहते हैं। तो आप कारण को तो हटाते नहीं और आप चाहते हैं कि आर्डर करें कि एक स्त्री को एक पुरुष के घर जाना चाहिये। तो वह कैसे हो सकता है? यह सब न तो कोई सरकार कर सकती और न करना चाहिये। पीछे दो साल के बाद जुडीशियल सेपरेशन करे और फिर डाइवोर्स करे, यह सब लम्बी चौड़ी बातें कभी ठीक नहीं होंगी।

श्री एच० पी० सक्सेना (उत्तर प्रदेश): इस बिल में यही सब लम्बी चौड़ी बातें हैं और कुछ ज्यादा नहीं है।

श्रीमती लीलावती मुन्शी: जी हां, सो तो है लेकिन यह बात ठीक नहीं है, मैं ऐसा मानती हूं। कोई सरकार किसी स्त्री या पुरुष को एक दूसरे के सहवास में जबरदस्ती नहीं रख सकती है और न रखना चाहिये। ऐसा भी हुआ है कि स्त्रियों ने अपने पति के घर जाने के बजाय जेल जाना पसन्द किया है। इसलिये मैं आशा करती हूं कि आप इस बारे में फिर विचार करेंगे।

पंडित **एस० एस० एन० तन्खा** (उत्तर प्रदेश): यही बात पुरुष के लिये भी है।

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री वी० के० धगे): तन्खा साहब यह कह रहे हैं कि पुरुष को भी इसी तरह का होना पड़ेगा।

श्रीमती लीलावती मुन्शी: यह तो दोनों के लिये है। जो स्त्री पुरुष को पसन्द नहीं करती है या जो पुरुष स्त्री को पसन्द नहीं करता है वह अलग रहें। पुरुष के लिये तो अभी इजाजत है कि वह दूसरी स्त्रियों के साथ फिरता रहता है उनके साथ शादी कर सकता है। पुरुषों को जो सहूलियतें हैं वे स्त्रियों को नहीं हैं, लेकिन चाहे यह पुरुष हो या स्त्री हो, इस बारे में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम: जब मां बाप बीच में पड़ते हों तो स्त्री पुरुष इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब मां बाप जबरदस्ती करके लड़के लड़की को अलग रखना चाहते हैं तब तो इसका उपयोग कर सकते हैं।

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री वी० के० धगे): सावित्री जी क्या फ़रमा रही हैं ?

श्रीमती लीलावती मुन्शी : जी हां, वह मैं समझ गई। वह तो दूसरी बात है, उस हालत में तो स्त्री जाना चाहती है । ऐसे केसेज के लिये यह नहीं है । वह जरा क्लाज को ठीक से पढ़ें तो समझ में आयेगा। मैं यह कहती हूं कि "रेस्टीट्यूशन आफ़ कंजूगल राइट्स" का जो क्लाज है वह गलत है और उसको हटाना चाहिये ।

मैं यह भी कहती हूं कि सब स्टेटों के लिये एक कायदा होना चाहिये । जैसा कि कुंजरू साहब ने बताया कि मद्रास और बम्बई में एक अलग कायदा है और यहां यह अलग हो रहा है । हमारे मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अगर इस बारे में कोई संशोधन आ जाये तो वह स्वीकार कर लेंगे। मैं आशा करती हूं कि वह हर स्टेट में हर जगह एक ही कायदा लागू करेंगे ।

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन-क्योरेबिल डिजीज में बहुत सी बातें दाखिल की हैं जैसे कि शादी के पहले एक स्त्री प्रेगनेंट हो, शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष से प्रेगनेंट हुई हो तो डाइवोर्स हो सकता है । तो इस बारे में मेरा कहना है कि शादी के पहले उसका फ़िजिकल एक्जामि-नेशन करायें। अगर यह चीज शादी के पहले ही करा लें तो फिर बाद में यह बात नहीं उठेगी कि यह स्त्री प्रेगनेन्ट थी या नहीं।

श्री डी० पी० करमरकर : यह चीज समझ में नहीं आती है । समझ में आना बड़ा मुश्किल है ।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : समझ में आती है। आप को तो सब मालूम है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० के० एन० काटजू) : बड़ा तजुर्बा है इनका!

श्रीमती लीलावती मुन्शी : मैं समझती हूं कि ९९ परसेंट केसेज में ऐसी चीजें समझ में आ जायेंगी, एक आध परसेंट केसेज ऐसे होंगे जो कि समझ में नहीं आयेंगे। अगर फिजिकल एक्जामिनेशन हो जायेगा तो कोई इल्जाम भी नहीं लगायेगा—पुरुष यह नहीं कह सकेगा कि स्त्री प्रेगनेंट थी—पहले से प्रेगनेंट थी। इसलिये मैं कहती हूं कि मेडिकल एक्जामिनेशन की बात रखना जरूरी है । अगर इस तरह का कायदा हो जायेगा कि फिजिकल एक्जामिनेशन कराना होगा तो फिर उसमें किसी को बुरा लगने का सवाल भी नहीं है। अभी मां बाप आसानी से नहीं कह सकते कि एक दूसरे का फिजिकल एक्जामिनेशन हो क्योंकि एक दूसरे को बुरा लगता है लेकिन जब स्टेट का कायदा होगा कि फिजि-कल एक्जामिनेशन कराओ कि वेनेरियल डिजीज है या नहीं लेप्रासी है या नहीं है तो फिर किसी की बुराई निकल जायेगी । इसलिये मैं आपसे अर्ज करती हूं कि आपको यह चीज बुरी नहीं लगेगी।

श्री एच० पी० सक्सेना : कम से कम डा० मित्रा को यह तजवीज जरूर पसन्द होगी। वह तो इसको जरूर पसन्द करते होंगे । That will add to his pro-fession.

डा० पी० सी० मित्रा : नहीं, नहीं, एक्सरे होना चाहिए ।

SHRI D. P. KARMARKAR: We are considering the Bill, not encouraging anybody's profession.

श्रीमती लीलावती मुन्शी : इंक्योरेबिल फ़ार्म ऑफ़ लेप्रासी होने पर आपने डाइवोर्स के लिये तीन साल का समय रखा है। जैसा कि मैंने पहले पूछा था, आप इंक्यो-रेबिल फ़ार्म आफ़ लेप्रासी किसको कहेंगे। मैं समझती हूं कि हर प्रकार की वेनेरियल डिजीज इंफ़ेक्सस है आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री के लिये यह कितना मुश्किल काम है कि किसी बीमारी के लाइलाज साबित होने के बाद वह कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दे। इसके लिये मैं समझती हूं कि पहले से डाक्टरी जांच पड़ताल होनी चाहिये। जैसा कि हमारे डा० कुंजरू साहब ने कहा, मैं भी मानती हूं कि तीन साल का समय बहुत ज्यादा है।

कोई आदमी जो संसार को त्याग कर देता है उसको डाइवोर्स करने के लिये आपने सात साल का जो अरसा रखा है वह बहुत ज्यादा है। आप समझिये कि एक स्त्री २५ साल की है, सात साल के बाद वह ३२ साल की हो जायगी, फिर वह कोर्ट में जाय और वहां दो चार साल और लग जायें और वह ३५, ३६ साल की हो जाय तो उस अवस्था में उसके लिये शादी करना बहुत मुशकिल बात होगी। सात सालों में वह अपना भरण-पोषण ही कैसे करेगी? इसलिये मैं कहती हूं कि सात साल रखने से बहुत कठिनाई होगी। इस अवधि में बहुत कमी करनी चाहिये।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द ने एक सुझाव ऐसा भी दिया था कि सिर्फ स्त्रियों को दस साल तक के लिये डाइवोर्स का अधिकार देना चाहिये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जब हम समानता चाहते हैं तो यदि हमारे सामने कुछ कठिनाइयां भीआ जायें तो कोई हर्ज नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों, दोनों के लिये इस बात में समानता ही होनी चाहिए।

कुछ खास संयोगों में आपने कहा है कि तीन साल के पहले भी इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। आपने क्लाज़ १५ में एक साल के बाद फिर से शादी करने के लिए व्यवस्था रखी है। जब स्त्री मर जाती है तो पुरुष श्मशान में विवाह करता है। मर्द जब स्त्री के मर जाने के १५ दिन के बाद शादी करता है उस वक्त कोई कुछ नहीं कहता है। इसलिये जब एक वक्त उसका तलाक हो गया तो पुरुष और स्त्री दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, और सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के बाद जब उन में से किसी को दूसरी शादी करनी ही है तो फिर उसके लिये ६ महीने का समय ठीक है। एक साल का समय बहुत लम्बा समय है और उसकी जरूरत नहीं है। यदि एक दूसरे से अलग होने के बाद कोई व्यक्ति छः महीने के बाद या एक साल के बाद कभी भी शादी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लिए मैं मानती हूं कि उस समय में कमी जरूर की जानी चाहिए।

श्री डी० पी० करमरकर : शायद आपने बिल में देखा होगा कि इसमें लिखा है कि इन दी फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में डिक्री होगी। उसके बाद एक वर्ष के बाद शादी हो सकती है। इन दी फ़र्स्ट इंस्टेंस डिक्री होगी, ६ महीने में केस साबित होगा। कोर्ट में अपील करने के लिए गुंजाइश रखी गई है, जब कोर्ट से फैसला हो जाय तो उसके एक वर्ष बाद शादी हो सकती है।

श्रीमती लीलावती मुन्शी : सिविल मैरेज ऐक्ट में छः महीने है या १२ महीने है?

श्री डी० पी० करमरकर : छः महीने डाइवोर्स मिल जाने के बाद है। यहां पर हमने एक बरस का समय रखा है। Supposing the case goes to the High Court or some appellate court and we make the period less.....

श्रीमती लीलावती मुन्शी : मगर आज कल तो कोर्ट का जमाना है। एक एक केस में दो दो, चार-चार साल लग जाते हैं।

श्री डी० पी० करमरकर : इसके लिये हमने प्रोटेक्शन दे दिया है कि चाहे वाद कों कोई केस तीन वर्ष तक कोर्ट में चले उसमें कोई रुकावट नहीं रहेगी, मगर पहले फैसले के एक वर्ष बाद कोई व्यक्ति शादी कर सकता है।

श्री जे० एस० बिष्ट (उत्तर प्रदेश) : स्पेशल मैरेज ऐक्ट में भी एक ही साल रखा गया है।

श्रीमती लीलावती मुंशी : जहां छः महीने के अन्दर अपील दाखिल नहीं की गई हो, वहां छः महीने बाद आप रख सकते हैं।

इस कानून में एक चीज यह बहुत अच्छी रखी गई है कि लेजिटिमेसी आफ़ चिल्ड्रेन और प्रापर्टी राइट्स को मान्यता दी गई है क्योंकि मां-बाप के दोषों के लिए बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि यह चीज सभी बच्चों के लिये हितकर होगी। मुझे याद नहीं है कि यह चीज चिल्ड्रेन ऐक्ट में की गई है या नहीं। मां-बाप अपने पाप को छिपाने के लिये बच्चों को रास्ते में फेंक देते हैं। जहां इस बात का प्रूफ़ न मिले कि कोई बच्चा किसका वहां किसी को भी उस बच्चे को पालने का अधिकार होना चाहिए।

एक और चीज जो आपने रखी है, प्रोसीडिंग्स इन कैमरा, वह मैं समझती हूं कंपलसरी होनी चाहिये। उसे इस कानून में कंपलसरी नहीं रखा है। अखबारों में कई तरह की मनगढ़ंत और रंगीली बातें और अफ़वाहें दोहरा दोहरा कर लिखी जाती हैं। मैं समझती हूं कि अखबारों में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहियें। उनका जबान लड़के और लड़कियों के दिमाग पर बहुत खराब असर पड़ता है। अखबार वाले तो अपना अखबार बेचने के लिये बहुत सी चीजें दाखिल करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिये, कंपलसरिली ऐसे डाइवोर्स को छापना बंद करना चाहिए ऐसी मेरी राय है।

श्री डी० पी० करमरकर : आपकी राय से यह काम नहीं हो सकता अगर दूसरी पार्टी यह चाहती है।

In England, they are published where the court thinks that it is in the public interest. We have gone one step further and we have said: "if either party so desires or if the court so thinks fit."

श्रीमती लीलावती मुन्शी : अगर कोई डिप्रेव्ड आदमी चाहे तो वह पब्लिसिटी देने के इरादे से सब कुछ कर सकता है। मगर यह चीज सामान्य जनता के लिये तो अच्छी नहीं है।

श्री डी० पी० करमरकर : इसलिये तो "If the Court so thinks fit" रखा है।

श्रीमती लीलावती मुंशी : यदि हो सके तो इस चीज को कंपलसरी बन्द रखना चाहिये।

डा० पी० सी० मित्रा : कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की कापी भी मिल सकती है या नहीं ?

श्री डी० पी० करमरकर : वह इविडेंस ऐक्ट में लिखा है ।

PANDIT S. S. N. TANKHA: The publication of the proceedings under the Bill now is prohibited altogether.

SHRI D. P. KARMARKAR: Except with the previous permission of the court.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. K. DHAGE) : Let Mrs. Munshi proceed. She is expressing her views and you will have an opportunity to reply.

DR. P. C. MITRA: These proceedings are public documents.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. K. DHAGE) : Dr. Mitra, you will have your opportunity.

DR. P. C. MITRA: I want to know whether the proceedings of the court are public documents or not.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. K. DHAGE) : You have consultations with the hon. Minister a little later. Let Mrs. Munshi proceed.

SHRI D. P. KARMARKAR: Sir, I am prepared to make myself available all time for Dr. Mitra's lecture. So he need not interrupt Mrs. Munshi's speech.

श्रीमती लीलावती मुंशी : ऐक्सपेंसेज आफ़ प्रोसीडिंग्स की बाबत मेरी समझ में ठीक तरह से नहीं आया है । अगर स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी के पास पैसा नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि उसको एक्सपेंसेज आफ़ प्रोसीडिंग्स देना चाहिये ।

SHRI D. P. KARMARKAR: "It may"; it is in the discretion of the court; it is not "it shall".

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री वी० के० धगे) : जो मालदार होगा उससे कोर्ट पैसा लेगी ।

DR. P. C. MITRA: "May" is equal to "shall".

श्रीमती लीलावती मुंशी : अगर मान लीजिए कोई फ़िवोल्स कंप्लेंट करे जिसका कि कोई प्रूफ़ न हो, तो भी दूसरी पार्टी को खर्चा देना पड़ेगा । इसके लिये कोई सेफ़गार्ड रखना चाहिये । मैं नहीं मानती कि कानून में यह बात साफ़ की गई है क्योंकि मेरी समझ में पूरी बात नहीं आई है ।

श्री डी० पी० करमरकर : इसमें लिखा है "it may" । डिस्क्रेशन कोर्ट के सामने है ।

उप-सभाध्यक्ष महोदय (श्री वी० के० धगे) : यह कोर्ट के सवाबदीद पर मुनहसिर है ।

श्रीमती लीलावती मुंशी : प्रश्न यह है कि कोर्ट तो रीजनेबिल खर्चा दिलवा सकती है, मगर वह रीजनेबिल होगा भी या नहीं ?

PANDIT S. S. N. TANKHA: The words are: "Where it appears to the court that a person stands in need of 'aid', the court may grant the same".

SHRIMATI LILAVATI MUNSHI: No, here it reads: "Where in any proceeding under this Act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding, and monthly during the proceeding such sum as, having regard to the petitioner's own income and....."

तो फ़्रिवोल्स कंपलेंट पर भी यदि दूसरी पार्टी के पास पैसा है, खर्चा लिया जा सकता है।

श्री डी० पी० करमरकर : ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोर्ट मुनासिब समझे तभी ऐसा कर सकती है। अगर वह समझे कि कंप्लेंट मुनासिब नहीं है तो वह उसे मंजूर नहीं करेगी।

श्रीमती लीलावती मुंशी : अगर ऐसा है तो मैं आपके ऐक्सप्लेनेशन को स्वीकार करती हूं।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

एलीमनी के बारे में आपने क्लाज़ रखा है। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं कि स्त्री पुरुष दोनों की इस बारे में समानता होनी चाहिये। किन्तु जब तक आप स्त्री को जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं, उसके अधिकार को नहीं मानते हैं तब तक आप इस बारे में समानता नहीं ला सकते हैं। स्त्रियों को जायदाद में अधिकार न देना उनके प्रति अन्याय होगा। आप स्त्रियों से पुरुषों के लिये बगैर उनको जायदाद में अधिकार दिए हुए एलीमनी मांगेंगे तो यह स्त्री जाति के प्रति अन्याय होगा। अगर कोई स्त्री डाक्टर है, नर्स है या अध्यापन करके अपना गुजारा चलाती है और उसका पति दावा दाखिल करके अलग हो जाता है और यह मांग करता है कि उसको एलीमनी दिया जाय तो यह कोई ठीक बात नहीं है। जब तक आप पूरे अधिकार स्त्रियों को नहीं देते, सब बातों में उनको पुरुष के समान नहीं लाते तब तक इस तरह की एलीमनी स्त्री से मांगना उचित नहीं है। जब आप इस विषय में दूसरा बिल लायेंगे और उस में स्त्रियों को पुरुषों की तरह सब तरह के अधिकार दिलायेंगे तब ही इस चीज की मांग आप कर सकते। सिद्धान्त रूप में मैं इसके खिलाफ नहीं हूं किन्तु यदि इस चीज को वर्तमान स्थिति में प्रेक्टिस में लाया गया तो इससे स्त्रियों को हार्डशिप होगी।

इसके बाद मुझे कस्टडी आफ़ चिल्ड्रेन के बारे में कहना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो उसके लायक है उसको दिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि सब स्त्रियां या पुरुष बुरे या अच्छे नहीं होते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि जिस घर में बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके उसके लिए अच्छा वातावरण हो, वहीं बच्चा दिया जाय, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is now time, Mrs. Munshi. You have already taken 45 minutes.

SHRIMATI LILAVATI MUNSHI: I am finishing now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time has now come for rationing the time. I am announcing it shortly.

श्रीमती लीलावती मुंशी : इस बिल के सम्बन्ध में मैंने बहुत सी बातें बतला दी हैं। इस बिल का मैं समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि स्त्रियों का पूरा अधिकार स्थापित करने का बिल जल्दी से सदन में आयेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to announce to the hon. Members that the Business Advisory Committee has fixed the time for various Bills, and we have to close the general discussion on this Bill today. I am calling upon the hon. Minister to reply on Saturday-Tomorrow is a non-official day. So, we have to ration time, and we have to plan out something to satisfy all the Members. So, I would suggest that I would not call Members, who have sent in amendments, to speak in the general discussion. I would call only

[Mr. Deputy Chairman.] those who have not sent amendments, and the hon. Members should not take more than 10 to 15 minutes—15 minutes maximum and 10 minutes preferable. 1 have also to point out that those of the Members who do not get any opportunity now, would certainly get an opportunity in the third reading stage. I think if we agree on this plan, we can provide time for all the Members who are anxious to speak.

PROP. N. R. MALKANI (Nominated) : Is it not fair that this provision should have been made earlier before the discussion started? Some hon. Members have already taken 40 minutes or one hour each. This restriction about time, at this late hour, will be very unfair to the rest of the Members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I gave the forewarning yesterday.

PROF. N. R. MALKANI: But nobody took that forewarning.

DR. P. SUBBARAYAN (Madras): Sir, on a point of order, this time limit should have been imposed at the very beginning, because then it would have been fair to everybody concerned. But to come and impose it in the middle of a debate will not be fair at all. It means that those who want to speak afterwards will speak for a limited time. I, therefore, do not think that this time limit imposed at this late hour is reasonable and fair. It is only fair that the Business Advisory Committee should meet and lay down some regulations for the Bill but this should be at the very beginning. For the past two days, the hon. Members have been allowed full freedom to speak for any length of time. Some of them have spoken even for over an hour. And now, restricting the time, in the manner you have done, I do not think is~fair either to the House or even to the Chair, I would submit.

PROF. N. R. MALKANI: I would fur ther add that this.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not waste any further time. Prof. Mal-kani.

PROF. N. R. MALKANI: Just a minute, Sir. Members who have sent in amendments are the Members who take a lively interest in the debate on this Bill. And you, Sir, say that those who have sent in amendments will not be allowed to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They will have an opportunity to speak while moving their amendments.

PROF. N. R. MALKANI: Talking on the amendments is different from talking on the general principles. I want to talk on the general principles of the Bill.

DR. P. SUBBARAYAN: Talking on an amendment is quite different from talking on the Bill generally. Talking in the general debate means surveying the whole Bill.

SHRI D. P. KARMARKAR: May I, Sir, respectfully submit that there may be no further discussion on this parti cular point? I should only like to add that we, on this side, would like to hear as many Members as possible, and I think all the points have been developed, There are some four or five points; arising, and if Members- so make up Iheir mind, they could.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Members should avoid repetition and should confine themselves mainly to their viewpoint. Then I think every Member will have a chance.

I have also to inform hon. Members that we are sitting on Saturday, and I have no objection to sit from 5 o'clock to 6 o'clock,—that means one hour—if it is felt necessary and the Members desire it. So I think we can follow this programme.

SHRI H. C. MATHUR (Rajasthan): Sir, I do not think there should be any time limit. It would not be fair to put any time limit on the speeches at this stags.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There must be a time limit. I am not allowing more than 15 minutes to each Member. Otherwise, you will be shutting out other Members.

SHRI H. C. MATHUR: Sir, we want to say something which has not been said at all, and, therefore, there should be no time limit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Business Advisory Committee has decided the time.

SHRI H. C. MATHUR: As a matter of fact, I call in question the decision of the Business Advisory Committee itself.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am afraid you cannot do that.

SHRI H. C. MATHUR: May I know, Sir, under what provisions of the Rules the Business Advisory Committee has restricted our rights?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Business Advisory Committee is representative of all the Parties. Your Party was also represented there.

SHRI H. C. MATHUR: I know that my Party was represented. But is there anything under the Rules which will restrict my rights on this Bill?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The programme has been decided by the Business Advisory Committee.

SHRI S. MAHANTY (Orissa): Why was it not convened earlier?

SHRI D. P. KARMARKAR: On account of Mr. Mahanty's long speech.

SHRI S. MAHANTY: The point is this, Sir. Why was the Business Advisory Committee not convened earlier?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, Mr. Mahanty. I will call your attention to Rule 28D of the Rules, which states as follows: —

> "28D. (1) It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills as the Chairman of the Council in consultation with the Leader of the Council may direct for being referred to the Committee."

That is the function of the Business Advisory Committee, which has decided the time. And I think you will be out of order if you question any decision of the Committee. *(Interruptions.)* Let us not waste any further time.

SHRI H. C. MATHUR: I understand from the gentleman who represented our Party on the Business Advisory Committee that they never fixed any time limit for a Member's speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But the time to be taken up for the Bill is fixed. If there is no time, I will put all the clauses without any amendments. But I think that will not be desirable.

DR. P. SUBBARAYAN: I would respectfully submit for your consideration that whatever may be the rule about this particular Bill, in the future, you will kindly keep it in mind that if there is going to be any time limit, the Business Advisory Committee should decide beforehand as to what time will be allowed to each Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have absolutely no objection.

SHRI H. C. MATHUR: Prof. Malkani and other Members have been drawing your attention, from the very beginning, to the fact that if any time limit is to be fixed, let it be fixed from the very beginning, so that we will get an equitable distribution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I do not object to that arrangement.

SHRI H. C. MATHUR: Certain Members have been allowed to speak for hours and now you want to restrict us to fifteen minutes.

PROF. N. R. MALKANI: Sir, I find that the Bill before us is in part con-

servative and in part very progressive, but on the whole I accept the Bill because it is a progressive Bill. With regard to clause 2, the criticism has been raised—it is a very common criticism, a very cheap criticism—that the Bill does not apply to all Indians but that it applies only *to* Hindus. They forget that even the inclusion of the Jains, Buddhists and Sikhs among the Hindus is a progressive thing. A few years ago that would not have been possible. There was a movement claiming that Sikhs were not Hindus and that Jains were not Hindus. They were not aware that they were Hindus. To put all of them together as Hindus is to my mind a step forward. Since the last several years we have heard the cry that the Hindu Law should be codified. There were so many types of Hindu Law—the *Dharma Shastras,* the commentaries, case laws and so on. We all wanted the codification of the Hindu Law. Nobody wanted the codification of Indian Law and nobody urged that a common law should apply to the whole of India. Of course, we will do it in due time. Even to have brought forward this Bill is a step forward, I think. To my mind, all those whp say that there should be a common law for the whole of the country, do not want any Bill to be passed at all. I suspect that they are reactionaries, because they know very well that some time ago the Hindu Code was brought forward in a consolidated form and there was great opposition to it. It had to be split into parts, and they have taken two or three years to present this one part. To say that all the communities should come within the purview of the Bill is to my mind aiming too high with the certainty that it will *not* succeed. We forget that the Bill after all is not a very progressive measure. We forget that the Christian Law is much more progressive from different points of view. Even the Muslim Law which we think to be very backward is not backward about divorce for example. In divorce it is a bit too forward.

SHRI S. MAHANTY: Who says, it is very backward?

PROF. N. R. MALKANI: Many think that the Muslim Law is very backward and that the Muslims have not got the things that we have got. Of course, the Christians are more progressive than we are. So, it is wrong to think that we are very progressive, we have got certain good things which We must share with others who have not got them. To think like that is to look at the whole thing from the wrong perspective. The Government has not come forward with a common measure for all the communities because we are not prepared; it is because Indians of all communities are not prepared for this. I think we will have to wait for some years for that kind of law which will embrace all the communities in India.

But to my mind, the Bill is too progressive about certain other matters, *e.g.,* in regard to the provision for the age of marriage. We have prescribed 21 for boys and 16 for girls.. I thipk, Sir, we are thinking of our own house, thinking of the people in this House, of peoplk in Delhi or Calcutta. If this House were differently constituted and consisted of people coming from the rural parts, many of whom would be peasant; and half of them women peasants, yju would find that this provision wi'l be thrown out. In the rural areas, there is no such limit as 16 and 21 yearjs for girls and boys respectively. It [is hardly 14 for girls. We know very well that even the Sarada Act ha; not been properly enforced. We say the age should be 16 for girls. If there is a breach of this condition, the marriage would be voidable. There are so many such marriages even today in the rural areas, and if we make them voidable, it will be disastrous. And what would be the situation if they have children and the marriage is declared void? No doubt there may be some punishment prescribed for the breach. I think that to fix the age at 21 and 16 is going too far. We might do this after ten years but not now. People are still not prepared for this.

Then, about the custody of children, Mrs. Parvathi Krishnan made an important and effective speech yesterday as only a lady who is a mother could have made. I do believe that the clause here on the custody of children is defective. Normally, naturally and organically the child belongs to the mother and not to the father. As a matter of fact, there was a time when it was considered that woman was functional and man was only incidental. Some of the greatest philosophers and scientists say today that the time is not far off when man may again become incidental and woman functional and when man will not matter at all. That day may soon come when woman matters much more, when the mother matters much more, than the father. I think we should make a specific provision here that naturally, generally and normally the custody of the child under twelve should be with the mother, unless the court provides otherwise considering the physical, mental and moral condition of the mother.

There has been some amount of controversy about alimony paid by woman. It is a very unique provision, a very novel provision. I read it myself and it tickled me. "Is it really good," I asked myself. Then I said, "I cannot say". I asked a dozen ladies, "What do you think about it?[1r] I found that they were divided. Some said, "We will pay if we can. If we have reserves, if we have income, we will pay. It is a question of our honour. We are in no way inferior. When we want equal rights, we must accept equal duties and equal responsibilities." After all, it does not say that where the wife has no means, no income, no property, she will be compelled to pay. If the wife has income, if she has property, and if she is in a position to pay and the husband is not in a position to maintain himself and if on that ground he applies for this relief, then the wife will certainly not only honourably but proudly and with great consciousness, say, "There was a time when you maintained me. Here you are, take it and go away. Don't you be crying like a baby." I think it would be a proud day for a woman when she can tell her husband, "I will maintain you. Don't cry. Take this cheque and kindly go away." They will pay if they can pay. In America and other advanced countries, there are many husbands living on alimony from their wives, because they are very rich. I hope our ladies will not be less generous than their counterparts there.

There is one other matter, I wish to say. The Bill has got two serious deficiencies to my mind and they are as follows. Take the clause about marriage. It has probably a number of conditions one of which is regarding prohibited degrees. Supposing it is publicly known that this or other conditions are being broken or ignored, don't you think that there should be a provision for an injunction? You know that a breach is made and you sleep over it and the marriage takes place and later on you wake up and say that there has been a breach and then you make it void etc. Why can't we in the beginning itself see, that if these conditions are not observed properly, that an injunction is issued or, say, anybody who knows that there is a breach can go to the court and get an injunction issued. I hope the hon. Minister would look into this.

The other matter is regarding restitution of conjugal rights. I wish that clause was dropped. There is no time to discuss it now but I shall discuss it later when it is taken up. I find that no provision has been made for reconciliation. There is provision for prolonged waiting for 3 years—for two years after judicial separation, for one year after divorce etc. You go on waiting, but is there anybody who takes any interest and makes some effort to see that the parties come round? We also have quarrels or differences in our homes but we always make up, particularly, when there are

[Prof. N. R. Malkani.] children but sometimes there is nobody. I would say that in every village two or three people will be found, who are elderly, experienced, mature, well-intentioned, who can say, "Don't you worry, I will attend to that" and the court may say to the parties, "Take this case to a particular tribunal". In each village there can be a tribunal and as a matter of fact in the villages they will work better than in the towns where there are more sophisticated people. In the villages there can be conciliation—two or three people, elderly people can sit or there can be *pan-chayats,* and the parties can go to them and they will try to reconcile. In some countries where these conciliation boards of 2 or 3 people are there who are experts, they will sit down and tell the parties "Sit down and don't you quarrel. We will put the matters through and right." The only thing that we should do is to try to reconcile these people rather than pass laws and amendments. I don't believe much in the courts, I don't believe much in legislation but I do believe in good-will and I do think that if a provision of that nature is made for such cases, many marriages could be made much happier. I have nothing more to say.

SHRI H. C. MATHUR: Mr. Deputy Chairman, the Hindu Marriage and Divorce Bill has very much to distinguish it from the Tea and Coffee Bills which we were discussing. It is also different from the Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code because here in the Hindu Marriage and Divorce Bill we are concerned very much and it goes deep down into our lives. It has a bearing on the Hindu religion. It has a bearing on the moral concept which we have cherished so far. It has a bearing on our social I fabric. It is not possible for anybody I to deal with this measure in any spe- i cified time and if the time-limit is to be prescribed, I very much have to regretfully say that it is not possible for me to reconcile myself to this strange 'jonception of democracy and I should like to know beforehand if I am to be satisfied by this time-limit of 15 minutes. In that case I should certainly refuse to subject myself to that time-lim it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: May I know what is the time that you want?

SHRI E. C. MATHUR: I cannot exactly tell you but it would be near about forty minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am afraid I cannot give you forty minutes, Mr. Mathur. I will extend another five minutes—you can take twenty minutes.

SHRI H C. MATHUR: I am sorry I don't want to live on concessions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot help it. Mr. Mahesh Saran.

SHRI H C. MATHUR: I don't want to live on mercies.

SHRI MAHESH SARAN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, I do feel that this is really a very, very important mea sure.....

SHRI H. C. MATHUR: So many strange things are said here.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI MAHESH SARAN:..... and at tention shauld be carefully directed towards a few particular clauses which really are the vital clauses so far as this Bill is concerned. Now, so far as clause 5 is concerned, we find that about the ages there is a great deal of difference. In this clause it is said that "the bridegroom has completed the age of twenty-one years and the bride the age of sixteen years at the time of the marriage." I do feel that this is a pro per age that has been fixed because now these marriages are not settled by the parents. People have to decide for themselves and contract these mar riages and therefore, the age should be such when they can understand things properly and I do feel that this s the proper age-limit that has been ixed so far as the age for marriage of he Hindus is concerned.

Now we come to clause 11. I do find that this is rather unhappily worded. It says:

> "Any marriage solemnized before the commencement of this Act shall be null and void and may, on a petition presented by either party thereto, be so declared by a decree of nullity if,—
>
> (a) a former husband or wife of either party was living at the time of such marriage".

But what happens to the former husband or wife? Suppose they want to awil of this Bill, why should a former husband or wife not have the right to file a petition to declare the subsequent marriage under this Bill null and void? I think they have every right to do so and, therefore, there is this lacuna so far as this clause is concerned. I think it is very unfair to the people who have already been married that they should not be given this right.

Now we come to clause 13 regarding divorce and clause 14 regarding petition for divorce. Clause 14 says that no petition for divorce can be presented within three years of marriage. If we read through the grounds for filing a petition for divorce given in clause 13, we find that the first one says, "is leading an adulterous life". My submission is, whether one has to wait for three years for filing a petition when either the husband or wife is leading a life which is not a proper life. The second ground is "has ceased to be a Hindu by conversion to another religion". He is absolutely lost and he is converted. Then why is he supposed to wait for three years in order to file a petition for divorce? The third is "has been incurably of unsound mind for a continuous period of not less than three years immediately preceding the presentation of the petition". Of course, this clause may be all right because after a lot of trouble, the man or woman may regain their proper mind. The fourth one is "has for a period of not less than three years immediately preceding the presentation of the petition, been suffering from a virulent and incurable form of leprosy". In this case it is really a little too much to wait for three years. The fifth one is "has for a period of not less than three years immediately preceding the presentation of the petition, been suffering from venereal disease in a communicable form". All these grounds lead us to think that the period when a petition is to be presented is really a little too much and I would for that reason consider one year to be quite enough for presentation of the petition for divorce.

Coming to the question of alimony, my submission is that it all depends upon whether the man or the woman is in a position to pay. Now we talk of equality; education has increased and men and women are both earning. As regards property, people say the woman does not get a share in the property, but as a matter of fact all property has gone. Landed property has gone, so also other properties, and it is really service or employment which really matters. If the wife is earning some money and the husband is not earning anything, then I do not think there is any harm if the wife gives alimony to the husband or *vice versa,* that is to say, the husband giving it to the wife if he is earning. Therefore, we need not very much press this question, that it should be only the man who should pay the woman, and not the wife paying the husband, for after all, it all depends upon the capacity to pay.

As regards the custody of children, the mother is really the proper person who should have the custody of the child. But there are cases in which the mother may not be the fit person to have the custody of the child, and in such cases, of course, the custody can be given to the father.

I do feel, Sir, that we are hurrying through this Bill. It is altogether a new Bill so far as Hindus are concerned. Of course, this is a very progressive measure, it is a good measure, there is no doubt about that. But a. Bill like this has to be very caratfully

[Shri Mahesh Saran.] considered. Every word of it has to be weighed before we give our verdict on it. Therefore, I have a feeling that the hon. Minister in charge should see that a little more time is given so that it is more carefully considered and is not hurried through; because, as I have said just now, this is not a Bill of the ordinary nature. This is a Bill against which there has been very much talk and criticism in the public. As a mat ter of fact, during the elections, we re member that a charge was made against the Congress that they were going to spoil religion and so forth. Therefore, we must be very cautious. I know it is very.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the Hous? will stand more enlightened if you refer to the provisions of the Bill.

SHRI MAHESH SARAN: Sir, I shall be very much obliged if we are not every minute reminded not to take more than 15 minutes. You will not have to give me more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But let us have your views on the clauses.

SHRI MAHESH SARAN: But I really feel it hard to proceed if I am told how to speak and what to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But I am not at all telling you how to speak. I am only saying.....

SHRI MAHESH^SARAN: I would request you again," Sir, to let me carry on in my own way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Very well.

SHRI MAHESH SARAN: As I was submitting just now, this Bill is one which should be very carefully considered, especially some of the sections— those which I just now brought to the attention of the House—require very great and careful consideration. For example, if we go back to clause 14, it says that no petition for divorce is to be presented within three years *ci* the marriage. It reads:

> "Notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce, unless a:t the date of the presentation of the petition three years have elapsed since the date of the marriage:
>
> Provided that the court may, up on application made to it in accord ance with such rules as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be pre sented before three years have elapsed since the date of the mar riage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner....."

This is a very vague sort of thing, because the judge may say that the divorce can be on the grounds given under clause 13 and under that clause you have laid down that the party "has for a period of not less than three years immediately preceding the presentation of the petition, been suffering from venereal disease in a communicable form" etc. So, when these things are provided there, the court can say that the party should wait for three years because it is provided that the petition can only be based on these different grounds which are entered there in this clause and so the case will not be considered as of exceptional hardship to the applicant. Therefore, my submission is that you will find that this phraseology is not a very happy one. We should clearly have in mind what are the cases in which the petitions—if the provision is kept there as limiting it to three years —can be filed earlier.

Therefore, as I submitted, we should go very carefully through this Bill, considering each clause when it comes up and carry it and try to pass a measure which would be suited to the occasions.

Thank you. Sir.